



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/8625/2006/जोधपुर प्रेमराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05-3-18	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य</p> <p>उपस्थित:- (1) श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थी। (2) श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक :</p> <p>यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 2-11-04 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- आक्षेपित आदेश के द्वारा मृतक अपीलार्थी के कायम मुकामान की कार्यवाही समय पर नहीं किये जाने के कारण अपील को अबेट मानकर खारिज किया गया है।</p> <p>3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।</p> <p>4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया आदेश 22 नियम 3,4 व 9 जाब्ता दीवानी के प्रावधान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एवं 76 पर लागू नहीं होते हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अबेट करने में विधिक भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1987 पेज 499 आर आर डी 1992 पेज 99 की नजीरें पेश की।</p> <p>5- बहस के खण्डन में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के फौत होने की सूचना न्यायालय को दिनांक 29-7-04 को दे दी गई थी परन्तु अपीलार्थी के कायम मुकामान की कार्यवाही निर्धारित समय में नहीं की गई। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अबेट करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। निगरानी खारिज की जावे।</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/8625/2006/जोधपुर प्रेमराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।</p> <p>7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी के कायम मुकामान की कार्यवाही समय पर नहीं करने के कारण अपील को अबेट मानकर खारिज किया गया है। मण्डल की बृहद पीठ ने आर आर डी 1992 पेज 99 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p>Rajasthan Land Revenue Act,Section 75&76-Civil Procedure Code Ordr 22 Rule 3,4&9-The provisions of Order22Rule3,4&9do not apply to appeals arising u/s 75&76LR Act.</p> <p>8- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 2-11-04 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर विधि अनुसार निस्तारण करें। प्रार्थी को राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में दिनांक 15-3-2018को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(धूकलराम कसवाँ) सदस्य</p>	